भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1523

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

†1523.श्री करण भूषण सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में कार्यरत महिला और युवा श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए श्रम संहिता के अंतर्गत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है और सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सुरक्षा प्रावधान और शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में जीवन यापन की लागत में व्यापक ग्रामीण-शहरी और अंतर-क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का उक्त राज्य में मजदूरी संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रभावी कार्यान्वयन को किस तरीके से सुनिश्चित करने का विचार है;

(ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक स्थापित और कार्यशील दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरणों की संख्या कितनी है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को विशेषकर राज्य के श्रम-प्रधान जिलों में चार श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई वित्तीय, तकनीकी और डिजिटल सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में समेकित करने और सरल बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज को संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित कामगार सहित सभी कामगारों तक विस्तारित करने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2025 को लागू कर दिया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गयी है, सभी रोजगारों और राज्यों में लाभों की पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों को उचित योजनाएं बनाने में सक्षम बनाया गया है, कुशल वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और विकसित हो रही श्रम बाजार स्थितियों के अनुरूप कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

जारी/2--

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं।

उक्त संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय किए जाने का उपबंध किया गया है। इस संहिता में गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी उपबंध किया गया है।

उक्त संहिता में समुचित सरकार द्वारा असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए टोल-फ्री कॉल सेंटर, या हेल्पलाइन या सुविधा केंद्र स्थापित करने का उपबंध हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों की फाइलिंग, प्रोसेसिंग करना और उन्हें अग्रेषित किए जाने को सुविधा जनक बनाना, पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना और पंजीकृत असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन को सरल बनाना है।

(ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबंधों के तहत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, समुचित सरकार के रूप में, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करती हैं, उनकी समीक्षा करती हैं और उन्हें संशोधित करती हैं। इसके अलावा, बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी, न्यूनतम वेतन के आधार दरों पर हर छह महीने में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को मजदूरी संहिता, 2019 में सम्मिलित कर लिया गया है और उक्त संहिता को दिनांक 21.11.2025 से लागू किया गया है।

न्यूनतम वेतन दरों को प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों के अनुसार निर्धारित और संशोधित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में यह भिन्न-भिन्न हो सकता है।

मजदूरी संहिता, 2019 निम्नतम वेतन को एक सांविधिक उपबंध बनाती है। मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 9 में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपबंध है। इसके अलावा, संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में समुचित सरकारों द्वारा औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन और संबंधित कार्यों के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन किए जाने का उपबंध किया गया है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और राज्य-नियंत्रित प्रतिष्ठानों के लिए, राज्य सरकार एक समुचित सरकार है।

(घ): प्रारूपों के सरलीकरण, अनुपालन में सुलभता, निरीक्षण में पारदर्शिता और शिकायतों के त्वरित निवारण को सुनिश्चित करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दो वेब पोर्टल विकसित किए हैं, अर्थात, इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण, निरीक्षण की रिपोर्टिंग, वार्षिक रिटर्न जमा करने और शिकायतों के निवारण के लिए श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) और शिकायतों के निवारण के लिए समाधान पोर्टल। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की तैयारी के संदर्भ में, श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विचार-विमर्श किया गया है। इनमें राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए या तो एस.एस.पी. और समाधान पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनबोर्ड होने या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के साथ राज्य पोर्टलों के माध्यम से एकीकरण के विकल्प शामिल हैं। उपर्युक्त एकीकरण ढांचे का उद्देश्य श्रम संहिताओं के एकसमान राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निर्बाध केंद्र-राज्य समन्वय को सुनिश्चित करना है।

*****